संख्या-33 /2015/1647/43-1-2015-14(79)08टी0सी0-ए

प्रेषक,

एस0एन0 शुक्ल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0,
लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 23 अक्टूबर, 2015

विषय :- राज्य सूचना आयुक्तगण को अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-16-(5)(ख) के अनुसार "राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते वहीं होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की है।"

2- राज्य सरकार के मुख्य सचिव को The all India Services (Leave Travel Concession) Rules, 1975 व इसके अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के तहत अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव की भांति उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त को The all India Services (Leave Travel Concession) Rules, 1975 व इसके अन्तर्गत समय-समय पर जारी भारत सरकार व राज्य सरकार के शासनादेशों के तहत अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-2-943/दस-2015, दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
एस0एन0 शुक्ल
प्रमुख सचिव।

संख्या- 33 /2015/1647(1)/43-1-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त सामान्य अनुभाग-1/2/3/4
8- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

लुटावन राम
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.upnic.in